



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र: एफ-15/शोध/अध्यादेश/मदसविवि/ ७३७/४.

दिनांक 28/12/2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 के विभिन्न प्रावधानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 5 जुलाई, 2016 की प्रतिस्थापना एवं कुलपति समन्वय समिति से प्राप्त निर्देशिका की पालना के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19(4) में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सत्र 2018-19 से अध्यादेश को इस अधिसूचना के संलग्न परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 07.09.2018 से प्रवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश प्रबंध बोर्ड को प्रतिवेदनीय होंगे।

संलग्न— परिशिष्ट अध्यादेश 124

कुलसचिव

क्र: एफ-15/शोध/अध्यादेश/मदसविवि/ ७३७/५—५८.

दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक अनुभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
2. प्राचार्य, समर्त सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उपकुलसचिव (शैक्षणिक-I) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रतिवेदन हेतु।
6. वैब एडमिनिस्ट्रेटर को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना को कृपया वैब साईट पर अपलोड कराएं।
7. निजी सचिव—कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. निजी सहायक— कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।

निर्देशक (शोध)
०१८